मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2014 (फाल्गुन 12, 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये: -

(1) श्री भीम सिंह पटेल, भूतपूर्व संसद सदस्य,
(2) श्रीमती कांता पारेख, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(3) श्री रामभजन पट्टा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(4) श्री रमाशंकर भारद्वाज, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(5) श्री लल्लू सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(6) श्री गुलाबचंद तामोट, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(7) श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा तथा
(8) श्री बंगारू लक्ष्मण, भूतपूर्व संसद सदस्य व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष.

सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष तथा दुर्गालाल विजय, सदस्य ने भी शोकोद गार व्यक्त किये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.52 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.58 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 49 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील. सदस्य ने भोपाल में भू-माफियाओं पर कार्यवाही न होने,
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर की शिवानी नदी में जलकुंभी की गंदगी बढ़ने,
(3) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने जावरा-भीमाखेड़ी मार्ग के रेल्वे क्रासिंग अन्डर ब्रिज का निर्माण अधूरा होने,
(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने सागर जिले में अतिवृष्टि का आंकलन सही न होने,
(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने चंबल सभाग में भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स का कार्यालय खोले जाने,
(6) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने मैहर से कटनी सड़क मार्ग की हालत जर्जर होने,
(7) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य ने सिवनी जिले में रेत का अवैध विक्रय होने तथा
(8) श्री हर्ष यादव, सदस्य ने सागर जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को देय अनुदान, ई-बैंकिंग पद्धति से न किये जाने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2012-13 पटल पर रखे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 2007-08 पटल पर रखा.

(3) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2009-10 पटल पर रखे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने-

(क) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 3232-मप्रविनिआ-2013, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तथा

(ख) (i) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2012-13

(ii) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 तथा

(iii) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2012-13 द्विभाषीय संस्करण,

पटल पर रखे.

(5) श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रिपोर्टस की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन, वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 तथा 2007-08 पटल पर रखे.

(6) श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन ने –

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन, वर्ष 2012-13 तथा

(ख) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा, वर्ष 2011-12,

पटल पर रखे.

(7) श्री सुरेन्द्र पटवा राज्य मंत्री, पर्यटन ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा.

6. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित 6 विधेयकों को माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई है. इनके नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जायेंगे:-

क्र.	शासकीय विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014)	क्रमांक 1 सन् 2014
2.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014)	क्रमांक 2 सन् 2014
3.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 3) विधेयक, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014)	क्रमांक 3 सन् 2014
4.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014)	क्रमांक 4 सन् 2014
5.	मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014)	क्रमांक 5 सन् 2014
6.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014)	क्रमांक 6 सन् 2014

7. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री विश्वास सारंग एवं आरिफ अकील, सदस्यगण ने भोपाल नगर में अवैध कालोनियों में विकास कार्य न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया एवं ओमप्रकाश सखलेचा, सदस्यगण ने मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ट्रांसफार्मर जले होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 3 मार्च,, 2014 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014)	30 मिनट
2.	वर्ष 2013-2014 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे
3.	वार्षिक वित्तीय विवरण, वर्ष 2014-15 पर चर्चा	2 घण्टे
4.	वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक (लेखानुदान) की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	10 मिनट
5.	प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं पाले के कारण फसलों की क्षति होने के संबंध में सर्वश्री सत्यदेव कटारे, संजय पाठक तथा महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण की नियम 139 के अधीन सूचना	1 घण्टा 30 मिनट

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया:-

1. श्री मानवेन्द्र सिंह
2. श्री कैलाश चावला
3. श्रीमती अर्चना चिटनिस
4. श्री केदारनाथ शुक्ल
5. श्री रामनिवास रावत
6. डॉ. गोविन्द सिंह

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

दैनिक कार्यसूची के अनुसार, श्री संजय पाठक (जिला-कटनी), सदस्य द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत की गई.

11. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए 11-11 सदस्यों का निर्वाचन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1) तथा 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए क्रमश: लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह-ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2014-15 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल हेतु 3 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि **:-**

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु 3 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि **:-**

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – "लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों सहित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडलों हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2014 को मध्याह्न 12 बजे तक दिये जा सकते हैं।

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2014 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 6 में होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2014 को अपराह्न 4 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, बुधवार दिनांक 5 मार्च, 2014 को पूर्वाह्न 11 से अपराह्न 3 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।"

16. वर्ष 2013-14 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जयन्त मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2013-14 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया. अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 4 मार्च, 2014 को 2 घण्टे का समय नियत किया गया.

17. वर्ष 2014-15 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने वर्ष 2014-15 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन किया. अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 4 मार्च, 2014 को 2 घण्टे का समय नियत किया गया.

18. वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन किया.

19. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं पाले के कारण फसलों की क्षति होने के संबंध में सर्वश्री सत्यदेव कटारे, संजय पाठक तथा महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:--

1. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

2. श्री शंकरलाल तिवारी
3. श्री ओमप्रकाश सखलेचा

(मध्याह्न 12.59 से अपराह्न 2.34 बजे तक अन्तराल)
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

4. श्री संजय पाठक
5. श्री बहादुर सिंह चौहान

सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए.

6. श्री दुर्गालाल विजय
7. श्री गोवर्धन उपाध्याय

8. श्री जितू पटवारी
9. श्री ओमकार सिंह मरकाम

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

10. श्री कमल मर्सकोले
11. श्री नीलेश अवस्थी
12. श्री के.पी. सिंह
13. श्री के.के. श्रीवास्तव
14. श्री हर्ष यादव
15. श्री राम प्यारे कुलस्ते

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

16. श्री प्रताप सिंह
17. श्री यादवेन्द्र सिंह
18. श्री शैलेन्द्र पटेल
19. श्रीमती पारुल साहू केशरी (अंग्रेजी में भाषण दिया गया.)
20. श्री रजनीश हरवंश सिंह
21. श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल
22. श्री रामपाल सिंह
23. श्रीमती झूमा सोलंकी (चर्चा जारी)

अपरान्ह 4.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2014, (फाल्गुन 13, 1935) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

राजकुमार पांडे,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 5 मार्च, 2014